संख्या– 2–ई.एम./2001–का–4–2004

प्रेषक,

बी0एन0दीक्षित,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवामें,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

कार्मिक अनुभाग–4, लखनऊ : दिनॉक: दिसम्बर 15, 2004

विषय:– राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, उत्तर प्रदेश के वार्षिक अधिवेशन/चुनाव हेतु विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाना ।

महोदय,

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा दिनॉक 22 एवं 23 दिसम्बर,2004 को लखनऊ में वार्षिक अधिवेशन/ चुनाव का आयोजन किया जा रहा है । उक्त अधिवेशन में परिषद से सम्बद्ध विभिन्न संघों के प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया जायेगा ।

2. उपर्युक्त के संबंध में आपको यह अवगत कराने का मुझे निदेश हुआ है, कि शासन द्वारा परिषद के अधिवेशन/ चुनाव हेतु दिनॉक 22 एवं 23 दिसम्बर,2004 को सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों को विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है । अतः अनुरोध है, कि अधिवेशन/ चुनाव में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों को उक्त दो दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

15/12/2004

(बी0एन0दीक्षित)
विशेष सचिव ।

संख्या–2–ई.एम./2001(1)–का–4–2004, तदुदिनॉक ।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
2. समत मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
3. श्री अमरनाथ यादव, अध्यक्ष, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, उत्तर प्रदेश, 129–ए, दारूलशफा, लखनऊ ।

आज्ञा से,

15/12/2004

(बी0एन0दीक्षित)
विशेष सचिव ।